

नेशनल लोक अदालत 13 को, न्यायाधीश ने ली बैठक

नवभारत कार्यालय । महासमुंद।

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मंशानुरूप नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी शनिवार 13 सितंबर 2025 को जिला एवं समस्त तालुका स्थित न्यायालयों में किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की सचिव कु. आफरीन बानो ने बताया कि बढ़ते प्रकरणों तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के तैयारियों के संबंध में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अध्यक्ष श्रीमती अनिता डहरिया के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय के वीडियो

कान्फ्रेसिंग कक्ष में प्री-लिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों की बैठक ली गई। नेशनल लोक अदालत के संबंध में आयोजित बैठक में प्रमुख रूप से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री संघ पुष्पा भतपहरी, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) श्रीमती मोनिका जायसवाल की उपस्थिति में प्री लिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा महासमुंद स्थित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। बैंक के शाखा प्रबंधकों से पूर्व लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए प्रकरणों की स्थिति तथा वर्तमान में प्रस्तुत करने वाले प्रकरणों की समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक प्रकरण रखकर ऐसे प्रकरणों को आपसी सुलह के माध्यम से निराकरण किया जा सके।

